ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.FSOID/R/E/25/00052

Applicant Name	Akshay Joshi s/o Laxmi Narayan Joshi
Text of Application	One Photocopy of complaint made by Megha Purohit w/o Akshay Joshi resident of 78 Durga Nagar Mari Mata Indore in the month of January-February, 2025.
Reply of Application	प्लीज एटेचमेंट देखे.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	14/07/2025	Nodal Officer	
2	REQUEST FORWARDED TO CPIO	14/07/2025	Nodal Officer	Forwarded to CPIO(s) : (1) Sugandha Srivastava
3	REQUEST DISPOSED OF	04/08/2025	Sugandha Srivastava-(CPIO)	

Print

संख्या.22—284 / 2025—एफ.जी.डी. -1455
भारतीय वन सर्वेक्षण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
कौलागढ़ रोड़, पी0ओ0 — आई0पी0ई0
देहरादून— 248195

LiFE Lifestyle for Environment

दिनांकः २२ जुलाई, 2025

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

विषयः— RTI Application under Right to Information Act, 2005.

संदर्भः— आपके पत्र संख्याः 13—3 / 2025—आर.टी.आई—1401 दिनांक 18 जुलाई, 2025

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि Sh. Akshay Joshi, Uttarakhand की RTI आवेदन संख्या FSOID/R/E/25/00052 दिनांक 14.07.2025 के क्रम में मांगी गई जानकारी आपको पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीया,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

मीरा 22/7/25
(मीरा अय्यर) भा.व.से.
संयुक्त निदेशक (एफ.जी.डी.)

शु.गा.व्यवस्थ 22/7/25

RTI Cell.

812
20 JAN 2025

107
JD(FGD)

प्रति,

श्रीमान महानिदेशक महोदय
भारतीय वन सर्वेक्षण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
कौलागढ रोड़, पी0ओ0–आई0पी0ई0
देहरादून–248195

24/1
DD (FGD)
AD (FGD)
Smt. Smita Sunwal
Pl put up in file
24/1

विषयः– अभियुक्त अक्षय जोशी (वरिष्ठ टेक्निकल एसोसिएट) पिता श्री लक्ष्मीनारायण जोशी के द्वारा फरियादी के साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर मारपीट, गाली–गलौंच, जान से मारने की धमकी दी जाकर आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में शिकायत बाबत।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मुझ फरियादी के द्वारा अभियुक्त लक्ष्मीनारायण जोशी, अक्षय जोशी एवं श्रीमती शीतल जोशी के विरूद्ध महिला पुलिस थाना इंदौर में अपराध क्रमांक 85/2023 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई थी जिसका महिला पुलिस थाना इंदौर द्वारा विवेचना कर अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 498–ए, 34 भादंवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत माननीय न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत किया जा चुका है जो कि प्रकरण लंबित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध फरियादी के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मुझ फरियादी की मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है। प्रार्थिनी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थिनी अत्यंत दीन–हीन हालत में अभियुक्तगण के परेशान कर छोड़ने पर अपनी माँ के साथ निवास करने हेतु मजबूर है।

अभियुक्त अक्षय जोशी एवं उसके पिता लक्ष्मीनारायण जोशी अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण प्रार्थिनी को अत्यंत परेशान कर रहे हैं तथा अभियुक्तगण आपराधिक छवि के

मेघा जोशी (पुरोहित)

व्यक्ति हैं। अभियुक्त अक्षय के द्वारा फरियादी के साथ दहेज की मांग की जाकर मारपीट, गाली गलौंच कर जान से मारने की धमकी देकर प्रताड़ित किया जाकर आपराधिक कृत्य किया गया है। अभियुक्त अक्षय जोशी का कृत्य एक शासकीय सेवक की सेवा के अनुकूल ना होकर विधि–विरूद्ध है।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उक्त अभियुक्त अक्षय जोशी (वरिष्ठ टेक्निकल एसोसिएट) पिता लक्ष्मीनारायण जोशी के विरूद्ध आवश्यक कठोर कार्यवाही किये जाने की कृपा करें। यही निवेदन है।

स्थानः इन्दौर

दिनांकः 16/01/2025

प्रार्थिनी / फरियादी

मेघा जोशी (पुरोहित)

श्रीमती मेघा जोशी (पुरोहित)
निवासी– 78, दुर्गा नगर, मरीमाता
इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर– 8889813823

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।